न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 23/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रामुराम पुत्र श्री पीराराम जाति जाट निवासी ग्राम-पड़ासला तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1. मुरलीधर पुत्र मोहनलाल जाति माहेश्वरी, निवासी पड़ासला तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2. ग्राम पंचायत पड़ासला जरिये सरपंच तहसील ओसियां जिला जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध संकल्प संख्या 3 दिनांक 01.04.88 मिसल नम्बर 05 दिनांक 27.04.88 ग्राम पंचायत कोर्ट पड़ासला पंचायत समिति ओसियां।

उपस्थिति:-
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजु वी.जोश उपस्थित
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 26.06.2019

प्रार्थी रामुराम पुत्र श्री पीराराम जाति जाट निवासी ग्राम पड़ासला तहसील ओसियां जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थीगण मुरलीधर पुत्र मोहनलाल जाति माहेश्वरी, निवासी ग्राम पड़ासला तहसील ओसियां जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा संकल्प संख्या 3 दिनांक 01.04.88 को मिसल संख्या 05 दिनांक 27.04.88 को जारी पट्टा को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कोर्ट पड़ासला द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 की मिली भगत से दिनांक 01.04.88 जरिये संकल्प संख्या 3 की अनुपालना में दिनांक 27.04.88 को पट्टा जारी किया गया। उक्त भूखण्ड पट्टा बनाप 30x30 गज कुल क्षेत्रफल 900 वर्गगज का जारी किया गया जिसको प्राप्त करने का अप्रार्थी संख्या 1 कानूनी तौर पर कोई हकदार नही है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नही था न ही कानूनी तौर पर उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने का हकदार था जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है:-

1. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1961 के नियम 266 के तहत उक्त पटटा विलेख ग्राम पंचायत पड़ासला के सरपंच द्वारा अपने पुत्र मुरलीधर के नाम जारी किया गया है। सरपंच मोहनलाल ने अपने परिवार के सदस्य को फायदा पहुँचाने हेतु पट्टा जारी

किया है जो नियमानुसार जारी नहीं कर सकता है। उक्त पट्टा विलेख पर न तो ग्रामसेवक के हस्ताक्षर है और न ही उक्त पट्टा ग्रम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से जारी हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टा फर्जी तरीके से सरपंच द्वारा अपने परिवार को फायदा पहुंचाने की नियत से नियम विरूद्ध जारी हुआ है जो काबिल निरस्त है।

2. उक्त पट्टा 30 गज x 30 गज यानि कुल 900 वर्गगज का ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जारी किया है जबकि नियमानुसार पुराने नियमों के तहत 500 वर्गगज से अधिक पट्टा जारी करने का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था एवं नये नियमों के तहत 300 वर्गगज से अधिक ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार कानूनी तौर पर नहीं है, इस कारण क्षेत्राधिकार के बाहर आदेश होने से ग्राम पंचायत पड़ासला का उक्त आदेश काबिल निरस्त है।
3. अप्रार्थी संख्या 1 मुरलीधर पुत्र मोहनलाल नियम 266 पंचायत राज0 सा0 नियम 1961 के अन्तर्गत उक्त पट्टा प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं रखता था, न तो मुरलीधर का पट्टे में दर्शाई गई भूमि पर कोई कब्जा था और न ही आज दिनांक तक मौके पर कोई कब्जा है। मुरलीधर के पिता के पास ग्राम पड़ासला में लगभग 200 बीघा कृषि भूमि एवं आबादी एरिये में भी मुरलीधर के परिवार के पास 13 बिस्वा भूमि मौजूद थी। इस कारण उक्त नियमों के तहत न तो मुरलीधर का पुराना कब्जा था और न ही मुरलीधर का कोई अतिक्रमण था। महज मोहनलाल सरपंच होने के कारण अपने पुत्र मुरलीधर के नाम उक्त पट्टा सरासर गलत बनाया है जो काबिल निरस्त है।
4. सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा उक्त आबादी भूमि जो बेशकीमती थी जिसकी मात्र 51/- रूपये कीमत का किस आधार पर निर्धारण किया इसके अलावा इस भूमि के सन्दर्भ में सरपंच के अलावा किन किन के आवेदन प्राप्त हुए एवं आवेदन फीस ली गई या नहीं मौका रिपोर्ट बनाई भी नहीं गई जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी मांगीलाल का कब्जा किस आधार पर है। मिसल का हवाला पट्टे में सरासर गलत अंकित किया गया है। इसके अलावा पट्टा विलेख में कही भी आबादी भूमि के खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है। व अधिकतर कॉलम खाली छोड़े गये है। इस प्रकार उस पट्टे से यह कही भी सुनिश्चित नहीं होता है कि यह भूखण्ड आबादी के किस स्थान पर है। इस पट्टे के संबंध में न तो पंचायत कमेटी का गठन हुआ न ही यह भूमि नीलामी से अन्तरण किया जाना क्यो उपलब्ध नहीं है ऐसी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दी गई, न ही इस पट्टे में यह उल्लेख है कि वर्तमान में आवेदक मुरलीधर किस स्थान पर निवास कर रहा है। इस कारण उक्त पट्टा प्रथम दृष्टिया भ्रामक अपूर्ण व अस्पष्ट है इस कारण उक्त पट्टा विलेख काबिल निरस्त है।
5. ग्राम पंचायत पड़ासला ने राजस्थान पंचायतीराज सा0नियम 1961 में आबादी भूमि के विक्रय में बताए गए नियम 256 से 269 तक दर्शाए किसी भी प्रावधान की पालना नहीं की है तथाकथित पट्टा नियम 266 के तहत जारी करना बताया गया है नियम 266 में प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण – ''जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो'' इसके अलावा एससी/एसटी या ओबीसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत भूमि देना उचित समझती हो एवं इसके अलावा जहां आबादी भूमि की कीमत 200/-

रूपये से कम हो तो पब्लिक उपयोग के लिए भूमि दी जा सकेगी'' प्रार्थी न तो एससी/एसटी का व्यक्ति है न ही ओबीसी का व्यक्ति है, न हीं पंचायत ने ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया है। कि पट्टे में दर्शाई भूमि की नीलामी से उचित कीमत नहीं प्राप्त हो सकती। इस कारण उक्त पट्टा किसी भी सूरत में अप्रार्थी संख्या 1 तत्कालीन ग्राम पंचायत पड़ासला के सरपंच मोहनलाल का पुत्र होने के कारण उक्त पट्टा प्राप्त करने की इस नियम के तहत अहर्ता नहीं रखता था। मुरलीधर को पट्टा सरपंच ने स्वयं के परिवार को फायदा पहुंचाने की नियत से ही नियमों की घोर अवहेलना कर जारी किया है जो काबिल निरस्त है।

6. ग्राम पंचायत पड़ासला ने नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र 2/- रूपये के स्टाम्प पर अप्रार्थी संख्या 1 से ली गई, न ही उक्त भूमि के सन्दर्भ में नियम 257 के तहत प्लान बनाया गया, न ही नियम 258 के तहत मौका रिपोर्ट बनाई गई, न ही नियम 259 के अन्तिम विनिश्चय किया गया न ही नियम 260 के तहत नोटिस जारी कर नोटिसों का प्रकाशन किया गया नही नियम 261 के तहत आक्षेपों का निपटारा किया गया, इस प्रकार नियम 262, 263, 264 व 265 में दर्शाए किसी भी नियम की पालना नहीं की गई, न ही उक्त भूमि के पट्टे की पंचायत समिति से पुष्टि करवाई गई। इस कारण ग्राम पंचायत पड़ासला का आदेश काबिल निरस्त है।
7. ग्राम पंचायत पड़ासला के तत्कालीन सरपंच मोहनलाल ने अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 मुरलीधर को 900 वर्गगज भूमि का पट्टा नियम विरूद्ध दिया है। इसके अलावा एक अन्य पट्टा मिसल संख्या 1 के जरिये मांगीलाल पुत्र मोहनलाल को 50 गज x 70 गज यानि 3500 वर्गगज का पट्टा स्वयं के परिवार को फायदा पहुंचाने की नियम से नियम विरूद्ध जारी किया गया। उक्त भूमि ग्राम पंचायत पड़ासला की आबादी भूमि की बेशकीमती भूमि है एवं उक्त पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को सरासर विधि विरूद्ध जारी किया है जो निरस्त योग्य है।
8. सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा एक प्रिण्टेड साइक्लोस्टाइल प्रपत्र पर उक्त पट्टे जारी किए है जिसमें कुछ कॉलम खाली भी छोड़े गऐ है। संकल्प संख्या 3 दिनांक 01.04.1988 से दिनांक 27.04.1988 तक में इस पट्टों के सन्दर्भ में महज 27 दिन में कार्यवाही कर बेसकीमती आबादी भूमि को हड़पने की कार्यवाही की गई है जबकि आक्षेप हेतु एक माह का समय निर्धारित है। इसके अलावा न तो सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला को पंचायत समिति द्वारा पट्टा बुक जारी की गई थी न ही पंचायत समिति ने पट्टा जारी करने का आदेश दिया था न ही अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टे में पट्टा नम्बर का अंकन है। इससे स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला ने बाजार से पट्टे का प्रारूप खरीद कर पट्टे अपनी मनमर्जी से स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए नियम विरूद्ध जारी किए है। इस कारण उक्त पट्टा काबिल निरस्त है।

अत: प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा संकल्प संख्या 3 दिनांक 01.04.1988 को मिसल संख्या 5 दिनांक 27.04.1988 को जारी पट्टा को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी ने निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत पड़ासला के तत्कालीन सरंपच एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल द्वारा अपने परिवार के सदस्य यानि अपने पुत्र को महज 27 दिन में सभी कार्यवाही कर मात्र 51/- रूपये में 900 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा उक्त भूमि हेतु नीलामी एवं बोली की कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त पट्टे से संबंधित मिसल में ग्राम पंचायत की आज्ञाओं की सूची के प्रस्ताव में सरंपच के अलावा वार्ड पंच, ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्रामसेवक व हल्का पटवारी के कही भी हस्ताक्षर नहीं है अर्थात उक्त मिसल में आवश्यक कागजात अपूर्ण है। उक्त पट्टा जारी करने में किसी भी नियम की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी उसी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी व हितबद्ध पक्षकार होने से निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अत: प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को संकल्प संख्या 3 दिनांक 01.04.1988 को मिसल संख्या 5 दिनांक 27.04.1988 को जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजु वी. जोश ने अपनी बहस में बताया कि निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कभी कब्जा नहीं रहा और न ही वर्तमान में कब्जा है। इसके अलावा निगरानीकर्ता स्वयं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से, निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूखण्ड के पट्टे को खारिज करवाने हेतु निगरानी पेश नहीं की जा सकती है। अत: ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा नियमानुसार एवं सही जारी होने से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जाकर संकल्प संख्या 3 दिनांक 01.04.1988 को मिसल संख्या 5 दिनांक 27.04.1988 को जारी पट्टा को यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी व बहस पर मनन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत पड़ासला के संरपच द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को कुल 900 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है। तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी संख्या 1 के पिता है यानि सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा उक्त पट्टा अपने परिवार के सदस्य को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को मात्र 51/- रूपये में 900 वर्गगज बेशकीमती भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त बड़े व बेशकीमती भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा नीलामी एवं बोली की कार्यवाही निष्पादित नहीं की गयी। उक्त निगरानीधीन पट्टा में नीलामी के माध्यम से जारी करने का अभाव पाया गया है। यदि आबादी भूमियों के पट्टे को जरिये नीलामी के जारी किया जाता तो निश्चित रूप से राज्यकोष में आय बढती जिसका उपयोग विकास कार्य में किया जा सकता था लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही की जाना नहीं पाया गया है। उक्त पट्टा में कही भी आबादी भूमि के खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है तथा पट्टे में अधिकतर कॉलम खाली छोड़े गये है। इस प्रकार उक्त पट्टे से यह कही भी सुनिश्चित नहीं होता है कि यह भूखण्ड आबादी के किस स्थान पर है। उक्त पट्टा में पट्टा नम्बर भी अंकित नहीं किया गया है। इसके अलावा उक्त पट्टे से संबंधित मिसल में ग्राम पंचायत की आज्ञाओं की सूची के प्रस्ताव में सरंपच के अलावा वार्ड पंच, ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्रामसेवक व हल्का पटवारी के कही भी हस्ताक्षर नहीं है अर्थात ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का कोरम पूरा नहीं होने से उक्त पट्टा अपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हम उक्त निगरानीधीन पट्टे को खारिज करना उचित समझते है।

उपरोक्त निष्कर्षोपरान्त ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा नियमों से बाहर जाकर, प्रक्रिया की पालना न करते हुए, सीमा से ज्यादा भूमि का पट्टा बगैर नीलामी एवं बोली की कार्यवाही के जारी करने तथा अप्रार्थी को आबादी की बेशकीमती भूमि का संकल्प संख्या 3 दिनांक 01.04.1988 को मिसल संख्या 5 दिनांक 27.04.1988 को जारी पट्टा विधि विरूद्ध ढंग से जारी किया गया है उसे न्यायहित में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पड़ासला पंचायत समिति, बापिणी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर